

परिवहन विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 23 अगस्त, 2004

सं. फा. 19(74)/2000—परि०/सचिवालय/315.—दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाएगा।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. नियम 4 का संशोधन.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 (इसके बाद "मूल नियमावली" के रूप में सन्दर्भित) के नियम 4 में,
(क) उप नियम (2) में शब्द 'बीस' के स्थान पर 'एक सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उप नियम (5) में शब्द 'पांच' के स्थान पर शब्द 'पच्चीस' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. नियम 5 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 5 के उपनियम (4) में शब्द 'पिचासी' और 'एक सौ' के स्थान पर क्रमशः शब्द 'एक सौ पचास' और 'दो सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. नियम 6 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 6 के उपनियम (3) में शब्द 'एक सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. नियम 22 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 22 के उपनियम (3) में शब्द 'एक सौ' के स्थान पर 'दो सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
6. नियम 28 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 28 में;
(क) उपनियम (1) में शब्द 'बीस' के स्थान पर शब्द 'एक सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उपनियम (4) में शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'पच्चीस' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ग) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम शामिल किया जाएगा; अर्थात् :—
“(5) पंजीकरण प्रमाण पत्र/परमिट के स्थान पर किसी पंजीकृत वाहन के पंजीकरण/परमिट का विवरण स्वामी या उसके प्रतिनिधि को पचास रुपये प्रति वाहन की दर से भुगतान करने पर जारी किया जाएगा;
शर्त यह है कि सरकारी प्रयोजन के लिए किसी वाहन का विवरण पूछताछ करने वाली किसी सरकारी एजेंसी को इस उपनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का शुल्क भुगतान करना अपेक्षित नहीं होगा।”
7. नियम 32 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 32 के उपनियम (1) के खंड (ग) में शब्द 'बीस' के स्थान पर शब्द 'एक सौ पचास' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
8. नियम 34 का संशोधन.—मूल नियमावली के नियम 34 में;—
(क) उपनियम (8) में शब्द 'तीन सौ' के स्थान पर शब्द 'छः सौ' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ख) उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित नए उपनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—
“(11) सभी प्रकार के वाहनों के संबंध में किसी माह के लिये अस्थायी पंजीकरण शुल्क केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकरण शुल्क का आधा होगा।
(12) किसी माह के लिये अस्थायी पंजीकरण प्रदान करने के लिये प्रत्येक मोटर वाहन का मोटर वाहन कर निम्नलिखित तरीके से वसूल किया जाएगा :—

वाहन का प्रकार	देय शुल्क
(क) निजी नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन (दोपहिया, कार, वैन तथा जीप)	(क) 200 रुपये (दो सौ रुपये मात्र)
(ख) सभी अन्य (तिपहिया, हल्के मोटर वाहन, हल्के माल वाहन, मझौले माल वाहन, मझौले यात्री परिवहन वाहन तथा भारी यात्री/माल परिवहन वाहन)	(ख) 350 रुपये (तीन सौ पचास रुपये मात्र)

9. नियम 40 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन.—मूल नियमावली के नियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(40) विलम्ब अवधि के लिये भुगतान की जानी वाली राशि :— विलम्ब अवधि के लिये भुगतान की जाने वाली राशि अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (7) या धारा 49 की उपधारा (4) या धारा 50 की उपधारा (5) के अन्तर्गत पहले तीस दिन की अवधि या इसके भाग के लिये 50 रुपये भुगतान किये जाने होंगे तत्पश्चात् निर्धारित अवधि के पश्चात् या इसके भाग के लिए एक सौ रुपये प्रतिमाह भुगतान किए जाने होंगे।"

10. नियम 41 का संशोधन— मूल नियमावली के नियम 41 के उपनियम (4) के शब्द 'बीस रुपये' के स्थान पर 'केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 81 के अन्तर्गत उपयुक्तता के लिए निर्धारित शुल्क का आधा' प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 46 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन— मूल नियमावली के नियम 46 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"46 सड़क कर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करना :—

(1) सड़क कर सत्यापन के लिए शुल्क चालीस रुपए प्रति वाहन होगा तथा सड़क कर सत्यापन प्रमाण पत्र, वाहन के मालिक से आवेदन प्राप्त तथा सत्यापन शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र टी.वी.सी. में जारी किया जाएगा।

(2) अनुलिपि (डुप्लीकेट) सड़क कर सत्यापन प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए शुल्क दस रुपए प्रति वाहन होगा।"

12. नियम 48 का संशोधन— मूल नियमावली के नियम 48 के उपनियम (2) में शब्द 'पचास' के स्थान पर शब्दों 'एक सौ' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

13. नियम 56 का संशोधन— मूल नियमावली के नियम 56 के उपनियम (5) में 'एक सौ रुपए मात्र' शब्दों के स्थान पर 'नियम 59 के अन्तर्गत विनिर्धारित परमिट शुल्क का आधा' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

14. नियम 59 के स्थान पर नए नियम का प्रतिस्थापन— मूल नियमावली के नियम 59 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"59 परमिट के संबंध में अदा करने वाला शुल्क :—

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत परमिट जारी करने तथा नवीनीकरण और परमितों पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होंगे, अर्थात् :—

वाहन की किस्म	देय शुल्क
(क) किसी ऑटोरिक्षा के मामले में परमिट जारी अथवा नवीनीकरण पाँच वर्ष के लिए वैध होगा।	1000 रुपए (एक हजार रुपए)
(ख) किसी स्थानीय टैक्सी (डीएल-1 टी, डी एल-1) वाई तथा डी एल-1 एन) के मामले में परमिट जारी या नवीनीकरण पाँच वर्ष के लिए वैध होगा।	1500 रुपए (एक हजार पाँच सौ रुपए)
(ग) हल्के मोटर वाहन, हल्के सामान वाहन तथा मध्यम सामान/ यात्री वाहनों तथा डी एल-1 जैड और डी एल-1 आर एक्स टैक्सियों के मामले में परमिट का जारी, नवीनीकरण या प्रति-हस्ताक्षर पाँच वर्ष के लिए वैध होगा।	2000 रुपए (दो हजार रुपए)
(घ) भारी मोटर वाहन, और भारी सामान वाहन के मामले में परमिट का जारी, नवीनीकरण या प्रतिहस्ताक्षर पाँच वर्ष के लिए वैध होगा।	2500 रुपए (दो हजार पाँच सौ रुपए)
(ङ) किसी आटो रिक्शा तथा स्थानीय टैक्सी के मामले में परमिट के हस्तान्तरण के लिए	2000 रुपए (दो हजार रुपए)
(च) अन्य व्यवसायिक/परिवहन वाहनों जिसमें पर्यटन टैक्सी (डी एल-1 वाई, डी एल-1 जैड तथा डी एल-1 एन) शामिल है, के मामले में परमिट के हस्तान्तरण के लिए।	5000 रुपए (पाँच हजार रुपए)

बशर्ते कि दो टर्मिनल बिन्दुओं जिसमें एक या दोनों राज्य से बाहर पड़ते हैं, को जोड़ने वाले किसी मार्ग के संचालन के संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी अन्य परिवहन प्राधिकरण के बीच कोई समझौता हुआ है और ऐसे करार में परमितों के प्रतिहस्ताक्षर के लिए देय शुल्क में कमी या कटौती के लिए व्यवस्था है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण तदनुसार शुल्क में कमी या कटौती कर सकती है।

आगे शर्त यह है कि जहां कोई अस्थायी परमिट या प्रतिहस्ताक्षर अधिनियम के अन्तर्गत परमिट के लिए या प्रतिहस्ताक्षर के लिए अथवा अधिनियम के अन्तर्गत परमिट या प्रतिहस्ताक्षर के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करना स्थगित रखा गया है तो राज्य परिवहन प्राधिकरण अपने स्वविवेक से कोई नियमित परमिट या प्रतिहस्ताक्षर या परमिट या प्रतिहस्ताक्षर, जैसी भी स्थिति हो, के नवीनीकरण की स्वीकृति देते समय निर्देश दे सकता है कि अस्थायी परमिट के लिए भुगतान किए गए शुल्क की कुछ या सारी राशि के बराबर राशि नियमित परमिट या प्रतिहस्ताक्षर के लिए देय शुल्क में से घटायी जाए।

(2) रिजर्व स्टेज कैरिज के मामले देय शुल्क जिसके लिए किसी भी समय संचालन के लिए परमिट धारक प्राधिकृत है, वाहनों की अधिकतम संख्या पर गुणित होगा।

(3) (i) परमिट नवीनीकरण के लिए शुल्क जमा कराने की अंतिम तारीख परमिट की समाप्ति तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व होगी।

(ii) यदि देय तिथि तक किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो परमिट के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित विलंब शुल्क देय होगा :—

वाहन की किस्म

देय विलम्ब शुल्क

	परमिट की समाप्ति तक	परमिट की समाप्ति के पश्चात्
(क) आटो रिक्शा	पचास रुपये	पचास रुपये जमा तीन रुपये प्रतिदिन
(ख) स्थानीय टैक्सी	एक सौ रुपये	एक सौ रुपये जमा दस रुपये प्रतिदिन
(ग) हल्के मोटर वाहनों/मध्यम मोटर वाहनों/ डीलक्स टैक्सी/अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी	दो सौ रुपये	दो सौ रुपये जमा पन्द्रह रुपये प्रतिदिन
(घ) भारी मोटर वाहनों/भारी सामान वाहनों	तीन सौ रुपये	तीन सौ रुपये जमा बीस रुपये प्रतिदिन

(4) यदि परमिट धारक की मृत्यु हो गई है और परमिट धारक को मृत्यु के तीस दिन के पश्चात् कानूनी वारिस के नाम परमिट के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया गया है, तो आटो रिक्शा के मामले में तीन रुपये प्रतिदिन, स्थानीय टैक्सी के मामले में पाँच रुपये प्रतिदिन तथा अन्य वाहनों के लिए दस रुपये प्रतिदिन वसूले जायेंगे।

(5) यदि अखिल भारतीय पर्यटन परमिट, राष्ट्रीय परमिट या अन्तर्राष्ट्रीय परमिट या प्रतिहस्ताक्षर (जैसी भी स्थिति हो) के मामले देय तिथि तक किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह परमिट या प्रतिहस्ताक्षर (जैसी भी स्थिति हो) उसके पश्चात् वैध नहीं रहेगा तथा बीस रुपये प्रतिदिन की दर से वाहन मालिक द्वारा उसके जारी/नवीनीकरण से पहले भुगतान करना होगा।

(6) यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण किसी परमिट की सीमा किसी क्षेत्र या अन्य राज्य के मार्ग पर बढ़ाती है तो अनुपूरक शुल्क का भुगतान उसी दर पर किया जायेगा जैसे कि परमिट का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे क्षेत्र के लिए किया गया हो।

(7) अधिनियम की धारा 87 के अन्तर्गत प्रदान किए गए अस्थायी परमिट के लिए एक सौ रुपये प्रतिदिन का शुल्क देना होगा।

(8) एक बार में चार मास की अवधि के लिए जारी या नवीनीकरण किए गए अस्थायी परमिट या अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर का शुल्क एक हजार रुपये होगा।

बशर्ते कि राज्य परिवहन प्राधिकरण किसी अस्थायी परमिट या अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर के साथ यह शर्त लगा सकती है कि इसका शुल्क उन्हीं दरों पर दिया जायेगा जैसे कि अस्थायी परमिट या अस्थायी प्रतिहस्ताक्षर दीर्घावधि परमिट या दीर्घावधि प्रतिहस्ताक्षर हों।

(9) चार महीने या उससे कम अवधि के लिए डुप्लीकेट अस्थायी प्रमाण जारी करने के लिए देय शुल्क दो सौ रुपये होगा।

15. नियम 65 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 65 में :—

(क) उपनियम (2) में "एक सौ" शब्दों के स्थान पर 'पाँच सौ' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) उपनियम (3) में 'पाँच' शब्द के स्थान पर 'पच्चीस' शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

16. नियम 81 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 81 में :—

(क) उपनियम (2) के खंड (iii) को हटाया जायेगा;

(ख) उपनियम (2) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) पर्यटन एजेंट लाइसेंस/टूर आपरेटर/भ्रमण एजेंट के लाइसेंस प्रदान करने तथा नवीकरण के लिए आवेदन दो हजार रुपये लाइसेंस फीस के साथ राज्य सरकार के परिवहन विभाग को किया जायेगा।”

(ग) उपनियम (3) में “पाँच हजार” शब्दों के स्थान पर ‘दस हजार’ के शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(घ) उपनियम (6) में ‘एक हजार’ शब्दों के स्थान पर ‘पाँच हजार’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ङ) उपनियम (15) के खंड (ख) में ‘एक सौ’ शब्दों के स्थान पर ‘पाँच सौ’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(च) उपनियम (16) में ‘पाँच’ शब्द के स्थान पर ‘पच्चीस’ शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

17. नियम 82 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 82 में :—

(क) उपनियम (3) में खंड (2) के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(2) मुख्यालय के लिए आवेदन पत्र के साथ चार हजार रुपये तथा प्रत्येक शाखा कार्यालय के लिए एक हजार रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा।”

(ख) उपनियम (4) में “पचास हजार” शब्दों के स्थान पर “एक लाख” शब्दों को तथा ‘दस हजार’ शब्दों के स्थान पर ‘बीस हजार’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ग) उपनियम (14) में ‘एक सौ’ शब्दों के स्थान पर ‘दो सौ’ शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(घ) उपनियम (18) में ‘पाँच’ शब्द के स्थान पर ‘पच्चीस’ शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

18. नियम 99 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 99 में उपनियम (3) में खंड (ख) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ख) (1) प्रदूषण जांच केन्द्र के अधिकार तथा नवीकरण के आवेदन पत्र के साथ पाँच हजार रुपये का शुल्क लगाया जायेगा।

(2) प्राधिकार के नवीकरण में देरी के मामले में प्रतिभास या सास के किसी हिस्से के लिए पाँच सौ रुपये की दर से पाँच हजार रुपये अधिकतम अर्थदंड वसूल किया जायेगा।”

19. नियम 117 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 117 में जिस भाग में उसके अंत में “और उसके साथ केवल बीस रुपये का शुल्क दिया जायेगा” शब्द आते हैं उन्हें हटाया जायेगा।

20. नियम 120 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 120 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“120 दावा अधिकरण के अवार्ड के विरुद्ध अपील—

(1) दावा अधिकरण के अवार्ड के विरुद्ध अपील ज्ञापन के फार्म में दी जायेगी जिसमें अपील किए जाने के कारण संक्षिप्त रूप से दिए जायेंगे।

(2) अपील के साथ निर्णय की प्रति तथा जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस अवार्ड की प्रति लगवाई जायेगी जिसके साथ न्यायालय शुल्क लगा होगा।”

21. नियम 121 में संशोधन—मुख्य नियमावली के नियम 121 में “पचास पैसे” तथा “पाँच” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “पाँच रुपये” तथा “बीस” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राजीव तलवार, सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd August, 2004

No. F. 19(74)/2000/TPT/SECTT/315.—In exercise of the powers conferred by Section 211 read with Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Fourth Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 4.—In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 (hereinafter referred to as “the principal Rules”), in rule 4,—

(a) in sub-rule (2), for the word “Twenty”, the words “one hundred” shall be substituted;

(b) in sub-rule (5), for the word “Five”, the words “twenty five” shall be substituted.

3. Amendment of rule 5.—In the Principal Rules, in rule 5, in sub-rule (4), for the words “Eighty Five”, and “One Hundred”, the words “one hundred fifty” and “two hundred” shall respectively be substituted.

4. Amendment of rule 6.—In the Principal Rules, in rule 6, in sub-rule (3), for the words “One Hundred” the words “two hundred” shall be substituted.

5. Amendment of rule 22.—In the Principal Rules, in rule 22, in sub-rule (3), for the words “one hundred”, the words “two hundred” shall be substituted.

6. Amendment of rule 28.—In the Principal Rules, in rule 28,

(a) in sub-rule (1), for the word “twenty”, the words “one hundred” shall be substituted;

(b) in sub-rule (4), for the word “ten”, the words “twenty five” shall be substituted;

(c) after sub-rule (4), the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

“(5) The details of registration/permit of a registered vehicle in lieu of Certificate of Registration/Permit will be issued to the owner or his representative on payment of fee at the rate of rupees fifty per vehicle.

Provided that any official agencies enquiring the details of a vehicle for official purpose shall not be required to pay any fee under this sub-rule.”

7. Amendment of rule 32.—In the Principal Rules, in rule 32, in sub-rule (1), in clause (c), for the word “Twenty”, the words “one hundred fifty” shall be substituted.

8. Amendment of rule 34.—In the Principal Rules, in rule 34,—

(a) in sub-rule (8), for the words “three hundred”, the words “six hundred” shall be substituted;

(b) after sub-rule (10), the following new sub-rules shall be inserted, namely :—

“(11) The temporary registration fee for a month in respect of all vehicles shall be half of the registration fee prescribed under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(12) Motor Vehicles Tax against each vehicle for grant of temporary registration for a month shall be charged in the following manner :—

Type of vehicle	Fee payable
(a) Private non-transport vehicles (two-wheelers, cars, vans and jeeps)	(a) Rs. 200 (Rupees two hundred only)
(b) All others (three-wheelers, Light Motor Vehicles, Light Goods Vehicles, Medium Goods Vehicles, Medium Passenger Transport Vehicles and Heavy Passenger/Goods transport Vehicles,	(b) Rs. 350 (Rupees three hundred and fifty only)

9. **Substitution of new rule for rule 40.**—In the principal rules, for rule 40, the following shall be substituted, namely :—

“40. Amount to be paid for the period of delay.—The amount to be paid for the period of delay as laid down under sub-section (7) of Section 47 or sub-section (4) of Section 49 or Sub-section (5) of Section 50 of the Act shall be rupees fifty to be paid for the first thirty days or part thereof after the prescribed period and rupees one hundred per month or part thereof, thereafter.”

10. **Amendment of rule 41.**—In the principal Rules, in rule 41, in sub-rule (4), for the words “rupees twenty”, the words “half of the fees prescribed for fitness under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989” shall be substituted.

11. **Substitution of new rule for rule 46.**—In the principal Rules, for rule 46, the following shall be substituted, namely :—

“46. Issue of Road Tax Verification Certificate.— (1) The fee for the verification of the road tax shall be rupees forty per vehicle and the road tax verification certificate shall be issued in Form T.V.C. on receipt of an application from the owner of the vehicle and on payment of the verification fee.

(2) The fee for the issue of duplicate road tax verification certificate shall be rupees ten per vehicle.”

12. **Amendment of rule 48.**—In the principal Rules, in rule 48, in sub-rule (2), for the word “fifty”, the words “one hundred” shall be substituted.

13. **Amendment of rule 56.**—In the principal Rules, in rule 56, in sub-rule (5), for the words “Rupees One Hundred only”, the words “half of the Permit fee prescribed under rule 59” shall be substituted.

14. **Substitution of new rule for rule 59.**—In the principal Rules, for rule 59, the following shall be substituted, namely :— “59. Fees to be paid in respect of permits.—

(1) The following fees shall be payable for the issue and the renewal of permit and for the counter signature of permits under the Act, namely :—

Type of vehicle	Fee payable
(a) For issue or renewal of permit valid for five years in case of an autorickshaw	Rs. 1000 (Rupees one thousand)
(b) For issue or renewal of permit valid for five years in case of a local taxi (DL-1T, DL-1Y and DL-1N)	Rs. 1500 (Rupees one thousand and five hundred)
(c) For issue renewal or counter-signature of permit valid for five years in case of a light motor vehicle, light goods vehicle and medium goods/passengers vehicles and DL-1Z and DL-1RX Taxis.	Rs. 2000/- (Rupees two thousand)
(d) For issue renewal or counter-signature of permit valid for five years in case of a heavy motor vehicle, heavy and goods vehicle.	Rs. 2,500 (Rupees two thousand and five hundred)
(e) For transfer of permit in case of an autorickshaw and local taxi.	Rs. 2000 (Rupees two thousand)
(f) For transfer of permit in case of other commercial/transport vehicles including tourist taxis DL-1Y, DL-1Z and DL-1N)	Rs. 5000 (Rupees five thousand)

Provided that when an agreement is entered into between the State Transport Authority and any other Transport Authority in respect of the operation of any route joining two terminal points one of which lies or both of which lie outside the State and such agreement provides for the remission or reduction of the fees payable for countersignature of permits, the State Transport Authority may remit or reduce the fee accordingly.

Provided further that where a temporary permit or countersignature is granted pending consideration of the application for permit or for countersignature under the Act, or for renewal of permit or countersignature under the Act, the State Transport Authority may, at its discretion at the time of granting a regular permit or countersignature or sanctioning renewal of permit or countersignature as the case may be, direct that a sum equal to a part or the whole of any fees paid for temporary permit shall be deducted from the fees payable for regular permit or countersignature.

(2) In the case of reserve stage carriages the fees payable shall be calculated on the maximum number of vehicles which the permits holder is authorized to have in operation at any time.

(3) (i) The last date for depositing the fee for renewal of permit shall be fifteen days prior to the date of expiry of the permit.

(ii) If any fee is not paid by the due date, the following late fee shall be payable for the renewal of permit :—

Type of vehicle	Late fees payable	
	Upto the expiry of permit	After the expiry of permit
(a) authorickshaw	Fifty Rupees	Fifty Rupees plus three rupees per day
(b) Local Taxis	One hundred rupees	One hundred rupees plus ten rupees per day
(c) Light Motor Vehicles/Medium Motor Vehicles/Taxi/Taxi/All India Tourist Taxi.	Two hundred rupees	Two hundred rupees plus fifteen rupees per day
(d) Heavy Motor Vehicles/Heavy Goods Vehicles	Three hundred rupees	Three hundred rupees plus twenty rupees per day

(4) If the holder of the Permit has expired and transfer of permit is applied in the name of a legal heir after thirty days from the death of the permit holder, the penalty at the rate of rupees three per day in case of auto rickshaw five per day in case of local taxi and rupees ten per day in case of other vehicle shall be charged.

(5) If any fee is not paid by the due date in case of All India Tourist Permit, National Permit or Inter State Permit or the counter signature (as the case may be) such permit or the countersignature (as the case may be) shall forthwith cease to be valid and a late fee at the rate of rupees twenty per day shall be paid by the vehicle owner before the issue/renewal thereof.

(6) In case the State Transport Authority extends the effects of a permit to an area or route in another State, a supplementary fee shall be payable at the same rate as if the permit has been countersigned for the second region.

(7) For a temporary permit granted under section 87 of the Act, a fee of rupees one hundred per day shall be payable.

(8) The fee for a temporary permit or temporary countersignature issued or renewed for a period of four months at a time shall be rupees one thousand only :

Provided that the State Transport Authority may attach to a temporary permit or temporary countersignature a condition that the fee shall be paid at the same rates as if a temporary permit or temporary countersignature was a long-term permit or a long-term countersignature.

(9) The fee payable for issue of a duplicate temporary permit for four months or part thereof shall be rupees two hundred."

15. Amendment of rule 65.—In the principal Rules, in rule 65,—
 (a) in sub-rule (2), for the words “One Hundred”, the words “five hundred” shall be substituted;
 (b) in sub-rule (3), for the word “Five”, the words “twenty five” shall be substituted.

16. Amendment of rule 81.—In the principal Rules, in rule 81,—
 (a) in sub-rule (1), clause (iii) shall be deleted;
 (b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :—
 “(2) An application for the grant and renewal of travelling agent’s licence/tour operator’s/excursion agent’s licence shall be made to Tourism Department of the State Government alongwith a licence fee of two thousand rupees.”
 (c) in sub-rule (3), for the words “Five Thousand”, the words “ten thousand” shall be substituted;
 (d) in sub-rule (6), for the words “one hundred”, the words “five hundred” shall be substituted;
 (e) in sub-rule (15), the clause (b), for the words “One hundred”, the words “five hundred” shall be substituted;
 (f) in sub-rule (16), for the word “five”, the words “twenty five” shall be substituted;

17. Amendment of rule 82.—In the principal Rules, in rule 82,—
 (a) in sub-rule (3), for clause (2), the following shall be substituted, namely :—
 “(2) The application shall be accompanied by the licence fee of rupees four thousand only for Head Office and rupees one thousand only for each branch office;
 (b) in sub-rule (4), for the words “Fifty Thousand”, the words “one lakh” and for “ten thousand” the words “twenty thousand”, shall be substituted;
 (c) in sub-rule (14), for the words “one hundred”, the words “two hundred” shall be substituted;
 (d) in sub-rule (18), for the word “five”, the words “twenty five” shall be substituted.

18. Amendment of rule 99.—In the principal Rules, in rule 99, in sub-rule (3), for clause (b), the following shall be substituted, namely :—
 “(b)(i) The application for authorization and renewal for Pollution Checking Centre shall be accompanied by a fee of five thousand rupees.
 (ii) In case of delay in renewal of authorization, a penalty at the rate of five hundred rupees per month or a part of the month subject to a maximum of five thousand rupees shall be charged.”

19. Amendment of rule 117.—In the principal Rules, in rule 117, the portion reading as “and shall be accompanied by the fee of Rupees twenty only” occurring at the end thereof, shall be omitted.

20. Amendment of rule 120.—In the principal Rules, for rule 120, the following shall be substituted, namely :—
 “120. Appeal against the award of Claims Tribunal.—

- (1) An appeal against the award of a Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum stating concisely the grounds on which the appeal is preferred.
- (2) The appeal shall be accompanied by a copy of the judgment and the award appealed against alongwith a fee of one hundred rupees in the form of court fee stamp (s).”

21. Amendment of rule 121.—In the principal Rules, in rule 121, for the words “fifty paise” and “five”, the words “Rupees five” and “twenty” shall respectively be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
 of the National Capital Territory of Delhi.

RAJEEV TALWAR, Secy.